माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

निगरानी- 3558/2018/देवास/भू.रा.

बजरंगलाल पिता बद्रीलाल भडभुंजा, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम डबल चौकी, टप्पा बरोठा तहसील व जिला देवास म.प्र. –– आवेदक

विरूद्ध

1. राहुल राज विशाल पिता अशोक सुजातिया जैन
2. राजेश पिता जगदीश मंडलोई

निवासीगण 12/1, रेडक्रास रोड़ इंदौर म.प्र.

–– अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसील देवास के प्रकरण क्रमांक 0013/अ–12/2017–18 दिनांक 20–04–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर अंदर अवधि माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करता है।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन पेश किया गया उसमें प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी जबकि प्रार्थी की जमीन भी उक्त अनावेदक की जमीन से लगी हुई भूमि है। इसके उपरांत भी प्रार्थी को बिना सुनवाई के एवं बिना उपस्थिति के सीमांकन कर लिया गया है जो प्रथम दृष्टयां ही निरस्ती योग्य है।

2. यह कि विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई सीमांकन की कार्यवाही की जाती है तो आसपास के समस्त भूमिस्वामियों को सूचना देना आवश्यक होता है उक्त प्रकरण में इन नियमों का पालन नहीं किया गया इस

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3558/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तह0 व जिला देवास के समक्ष अपने स्वामित्व की ग्राम डबलचौकी प0ह0नं0 101 में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 121/2, 134/4 रकवा क्रमश: 0.25, 0.25 हे. भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 द्वारा विधित ई.टी.एस.एम. मशीन द्वारा सीमांकन कराया जाकर एवं स्थल पंचनामा बनाया जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	